



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 8, 2011/फाल्गुन 17, 1932

No. 422]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 8, 2011/PHALGUNA 17, 1932

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2011

का.आ. 493(अ).—नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ख की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जिपमेर), पुडुचेरी में निदेशक के पद पर नियुक्ति नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 7ख की उप-धारा (2) के खंड (i) में संदर्भित निषेध के कार्य क्षेत्र से बाहर होगी।

[फा. सं. ए-12034/24/2008-एम.ई. III]

देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND  
FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2011

S.O. 493(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of Section 7B of the Citizenship Act, 1955, the Central Government hereby notifies that the appointment to the post of Director, Jawaharlal Institute of Post-Graduate Medical Education and Research (JIPMER), Puducherry shall be outside the purview of the prohibition referred to in clause (i) of sub-section (2) of Section 7B of the Citizenship Act, 1955.

[F. No. A-12034/24/2008-ME. III]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.